फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, बापू नगर, भीलवाडा रोड, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द 313331
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 63/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः उपदे/सूचना/98 दिनांक 02.02.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, बापू नगर, भीलवाडा रोड, तहसील देवगढ द्वारा दिनांक 07.08.2020 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो इस कार्यालय को दिनांक 17.08.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में 01 से 03 तक बिन्दूवार सूचना चाही गई। उपरोक्त सूचनाओं का संबंध तहसीलदार देवगढ तथा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवगढ़ से होने से उन्हे इस कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 08.09.2020 द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)